न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
...सीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

...07 / 2009
...एस : 2009 / 00023
...शान्ति पत्नी चेतराम जाति बावरी निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1. मंगतराम
2. धनीराम
3. फरसाराम
4. देवीलाल
5. ओमप्रकाश
6. गुड्डी देवी
7. दाखां
8. लिछमा

सन्तान भीखाराम जाति जाट निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन ...या है कि वादीनी के नाम चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. पुराना 56 ...मा 43 के 14–10 बीघा बारानी जरिये मिसल नं. 316/78 निर्णय दिनांक 01.07.1983 के ...नुसार कबजा काश्त मानते हुऐ माननीय न्यायालय द्वारा पुख्ता आवंटन किया गया था। भूमि ...आवंटन होने के कारण आवंटन पट्टा जारी किया गया उसमें चक 79 आरबी बी का मु.नं. 56 ...र्तमान मु.नं. 43 के कि.नं. 1 ता 4 के 4–00 बीघा, किला नं. 5 में 0–18 व कि.नं. 6 में 0–18 ...बीघा, कि.नं. 7 ता 14 के 4–00 बीघा की 8 बीघा व कि.नं. 15 में 0–18, 16 में 0–18 व ...किला नं. 17 सालम, 18 सालम, 23 ता 24 सालम व किला नम्बर 25 में 0–18 कुल 14 बीघा 10 बिस्वा दर्ज किया गया। वादीनी को उक्त रकबा आवंटन होने के बाद वादीनी ने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अमल दरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का के पास दी गयी तो उन्होने आवंटन पट्टा में रकबा का मिलान करने पर गलत पाया गया जिस कारण वादीनी को आवंटन पट्टा में वर्णित किलाजात को दुरूस्त कराने के लिए पटवारी हल्का ने बताया तो वादीनी ने माननीय न्यायालय में दिनांक 20.09.1983 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवंटन पट्टा जारी किया गया है, उसमें रकबा का मिलान सही नहीं हैं क्योंकि वादीनी के कब्जा काश्त में 14–10 बीघा बारानी कब्जा काश्त में है जबकि आवंटन पट्टा में 14–10 बीघा दर्ज किया गया है लेकिन किलाजात का मिलान करने पर अधिक होना पाया गया है जिस पर माननीय न्याय[illegible] पेशी में लेकर दिनांक 24.09.1983 को संशोधन आदेश पारित किया गया जिसमें [illegible] चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 56 वर्तमा[illegible] प्रत्येक 18–18 बिस्वा, कि.नं. 7–8–13–14 साल[illegible] 18 बिस्वा, कि.नं. 17,18,23,24 सालम सालम व कि.[illegible] किया गया।

वादीनी एक हरीजन जाति की वृद्धावस्था औरत है तथा संशोधन आदेश जारी किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा बतलाया कि उक्त संशोधन [illegible] पटवारी हल्का के पास भेज दिया जावेगा तथा आपके नाम अमलदरामद हो जायेगा जिस कारण वादीनी ने पटवारी हल्का से जांच पडताल नहीं की तथा इस रकबा की समय समय पर किश्त जमा करवाती रही तथा अब मात्र शेष रह तो वादीनी जमा कराकर खातेदारी प्राप्त करने की कार्यवाही की। वादीनी आवंटन से पूर्व तथा आवंटन के बाद से लेकर आज दिन तक इस भूमि पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:42 IST
Reason: SelfAttested

काश्त कर रही है तथा आज दिनांक उक्त 14 बीघा 10 बिस्वा वादीनी के कब्जा काश्त

आवंटनशुदा भूमि की तमाम किश्त जमा हो गयी तो वादीनी ने शेष बकाया राशि जमा कर सनद खातेदारी दिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र रिपोर्ट र पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने दिनांक 30.06.2009 को बतलाया ह भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 के पिता भीखा राम को पुख्ता आवंटन हो चुकी है जिस वादीनी ने प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम के नाम से हुऐ आवंटन भूमि की जमाबन्दी की त प्रतिलिपि नकलवाई तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी के पिता भीखाराम को चक 79 बी का मु.नं. 43 पुराना मु.नं. 56 के कि.नं. 16 ता 25 सालम सालम दर्ज है जबकि इन जात में से कि.नं. 16 में 18 बिस्वा, 17–18 सालम सालम व कि.नं. 23–24 सालम कि.नं. 25 में 18 बिस्वा पूर्व में वादीनी को आवंटन है, इसके अतिरिक्त भीखाराम को आवंटन किया गया है वह गलत किया गया है क्योंकि किला नम्बर 16–25 में 2–2 बिस्वा स्वीकृत है जो भी प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम को आवंटन कर दिया गया हैं। उक्त की जानकारी होने पर वादीनी ने प्रतिवादी सं. 8 के समक्ष रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर नी के आवंटन व संशाधन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किऐ जाने प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किऐ जाने का कहा।

वादीनी ने अपने आवंटन पत्रावली का जिला अभिलेखागार श्रीगंगानगर में अवलोकन आवंटन पटटा तथा संशोधन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जो वादीनी को क 17.06.2009 को प्राप्त हुई प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के बाद वादीनी ने उसी क 17.06.2009 को प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर निवेदन किया कि उनके नाम वादीनी को ए गऐ आवंटन का दुबारा आवंटन हो गया इसलिए वे चलकर आवंटन को दुरूस्त करवा ले प्रतिवादीगण ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वादीनी को अगर रिकार्ड दुरूस्त करवाकर अपने म आवंटन के अनुसार अमल दरामद करवाना है तो वह स्वयं करवा ले अन्यथा हम वादीनी उसके आवंटनशुदा किलाजात से बेदखल कर अपने नाम से किऐ गऐ आवंटन के आधार र अमल दरामद करवा लेंगे तथा अपना कब्जा कर लेंगे। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत द है तथा बिनाय दावा वादीनी को भूमि आवंटन होने के रोज से प्राप्त हैं।

वादी का भूमि पर आवंटन के पूर्व से लेकर आज दिन तक काबज काश्त चला आ रहा तथा आज दिन भी शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त है इसलिए वादीनी इन किलाज़ात की खातेदार है तथा अने अवंटन आदेश के आधार पर रिकार्ड में दुरूस्ती करवाकर संशाधन आवटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अमल दरामद कराने की विधिक रूप से अधिकारीणी हैं। प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद को संशोधन किया जाकर वादीनी के नाम संशोधन आवंटन आदेश के आधार पर अमल दरामद किया जाकर वादीनी को सन् 83 से पूर्व का कब्जा काश्त होने के कारण खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित हैं। प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम के नाम हुऐ आवंटन को शून्य तथा प्रभावहीन नहीं माना जाता है तो इससे वादीनी के अधिकारों का हनन होग तथा इससे वादीनी का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा। प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर वादीनी के आवंटन शुदा भूमि को आगे बेचान कर देंगे इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी न्यायोचित हैं।

वाद वादीनी स्वीकार कर डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया कि वादीनी को चक 79 आरबी बी का पुराना मु.नं. 56 नया 43 के कि.नं. 3,4 सालम सालम, 5–6 प्रत्येक 18–18 बिस्वा, 7–8–13–14 सालम सालम, कि.नं. 15,16 प्रत्येक [illegible] व कि.नं. 17,18,23,24 प्रत्येक सालम सालम व कि.नं. 25 में 18 बिस्वा कुल 1[illegible] बीघा [illegible] बिस्वा [illegible] भूमि का आवेटन आदेश दिनांक 01.02.1983 तथा संशोधित [illegible] 24.09.1983 के आधार पर वादीनी को सन् 83 से लग[illegible] कारण वादीनी को इन किलाता का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] निषेधाज्ञा पारित करने कि वे स्वयं अथवा सहयोगी के माध्यम से भूमि किसी अन्य को [illegible], बेय ना करे तथा ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी करे तथा ना ही रिकार्ड में किसी प्रकार की तवदीली करें। तथा वादीनी के नाम किऐ गऐ संशोध्न आदेश दिनांक 24.09.1983 के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम के नाम से दर्ज जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 की खतौनी सं. 102/94 के कॉलम सं. 5 में अंकित मुरब्बा नं. 43 प.नं. 222/278 के किला नम्बर 16,17,18, 23 ता 25 सालम सालम को किया गया आवंटन शून्य तथा प्रभावहीन माना जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

...में संशोधन किऐ जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा वादीनी को आवंटन आदेश ... 01.02.1983 तथा संशोधन आवंटन आदेश दिनांक 27.09.1983 के आधार पर ...दरामद किऐ जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की तलबी सम्मन के अखबार में छाया करवा करवाई गयी। प्रतिवादीगण के हाजिर नहीं के कारण दिनांक 02.02.2021 को प्रतिवादी सं. 1 से 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ... में लाई गयी। राजपैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वाद की मदों को सिद्ध करने का ...वादी पर रखा हैं। प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी। वादी की ओर से साक्ष्य में ... पत्र शान्ति का पेश किया, जिस पर ब्यान दर्ज किये एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये।

बार संघ कार्य स्थगित हैं। बहस वकील वादी पूर्व में दिनांक 14.02.2023 को सुनी जा ...हैं। वकील वादी अपनी बहस में कथन किया हैं कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय ...र्वाही अमल में लाई जा चुकी हैं। वादी आवंटन आदेश एवं संशोधन आवंटन आदेश के ...र पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम भूमि दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण के ... भीखाराम के नाम से भूमि का अंकन गलत दर्ज हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी आवश्यक ...वादीया द्वारा समस्त किश्तें जमा करवाई गयी हैं। इसलिए वादीनी भूमि रिकार्ड में वादीया ...नाम से खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी हैं। वाद डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ...लोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से हैं–

...की सं. 1: आया कि वादीनी चक 79 आरबी बी का पुराना मु.नं. 56 नया 43 के कि.नं. 3,4 ...लम सालम, 5–6 प्रत्येक 18–18 बिस्वा, 7–8–13–14 सालम सालम, कि.नं. 15,16 प्रत्येक ...–18 बिस्वा व कि.नं. 17,18,23,24 प्रत्येक सालम सालम व कि.नं. 25 में 18 बिस्वा कुल 14 ...घा 10 बिस्वा बारानी भूमि का आवेटन आदेश दिनांक 01.02.1983 तथा संशोधित आदेश ...नांक 24.09.1983 से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि की ...तेदार घोषित होने योग्य हैं?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया की ओर से प्रस्तुत ...क्ष्य दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 2ए संशोधन आदेश दिनांक 24.09.1983 के ...नुसार शान्ति बेवा चेतराम बावरी चक 79 आरबी बी के मु.नं. 43 की कि.नं. 3–4 सालम, 5 ...6 में प्रत्येक 18–18 बिस्वा, 7–8–13–14 सालम सालम, 15–16 प्रत्येक 18–18 बिस्वा, ...7–18–23–24 सालम सालम, 25 में 18 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिए गये थे। प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2064–2067 चक ...9 आरबी बी खाता सं. 102/94 के अनुसार प.नं. 222/278 मु.नं. 43 के कि.नं. 16 ता 25 की 2.53है. बारानी भूमि भागीरथ वल्द गिरधारीराम कौम जाट सा. देह गैर खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–5 अनुसार चक 79 आरबी बी जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता सं. 1 में प.नं. 222/278 मु.नं. 43 के कि.नं. 1 ता 15 की कुल 3.795है. बारानी भूमि दर्ज हैं। प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रति सेल रजिस्टर में भी शान्ति वादी के नाम से खाता खुला हुआ हैं।

उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि वादीया के नाम से भूमि रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई हैं। वादीया आवंटन आदेश व संशोधन आदेश दिनांक 24.09.1983 के आधार पर भूमि खातेदार दर्ज करवाना चाहती हैं। वादीया को आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सनद खातेदारी प्राप्त करने की विधि अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए थी। कब्जा के आधार पर किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती हैं। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीया उपरोक्त आधार पर किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं है। अतः ... विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:42 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 2: आया कि वादीनी को आवंटन ... रकबा चक 79 आरबी बी का मु.नं.पुराना 56 नया 43 के कि.नं. 16,17,18,2... में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 स्वयं अथवा उनके किसी पश्चातवर्ती व्यक्ति के माध्यक से किसी प्रकार की दखलअन्दाजी करने तथा अपने नाम से रिकार्ड के आधार पर भूमि आगे ...न करने अथवा रहन करने से बाज व ममनु रहे बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारणी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया द्वारा संशोधन आदेश 24.09.1983 के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करने का अनुतोष चाहा गया हैं। प्रदर्श–4 जमाबंदी संचत 2064–2067 चक 79 आरबी बी खाता सं. 102/94 के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

प.नं. 222/278 मु.नं. 43 के कि.नं. 16 ता 25 की 2.53है. बारानी भूमि भागीरथ वल्द [illegible]राम कौम जाट सा. देह गैर खातेदार दर्ज हैं। विवादित भूमि वादीया के नाम से [illegible] दर्ज नहीं हैं, साथ ही तनकी सं. 1 के निर्णय अनुसार वादीया को विवादित भूमि का [illegible]द के तहत खातेदार घोषित किये जाने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया हैं। अतः वादीया [illegible]गण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। यह तनकी विरूद्ध [illegible] निर्णित की जाती हैं।

[illegible] सं. 3: आया कि वादीनी के नाम से किऐ गऐ संशोधन आवंटन आदेश दिनांक [illegible].1983 के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता भीखाराम के नाम से दर्ज जमबंदी सम्वत [illegible]–67 की खतौनी सं. 102/94 के कॉलम सं. 5 में अंकित मुरब्बा नम्बर 43 प.नं. [illegible]/278 के किला नम्बर 16,17,18 व किला नम्ब 23 ता 25 का रकबा वादीनी के नाम से [illegible] रिकार्ड में संशोधित किया जाकर दर्ज किये जाने योग्य हैं।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया द्वारा प्रदर्श–4 जमाबंदी [illegible] 2064–2067 चक 79 आरबी बी खाता सं. 102/94 में भागीरथ वल्द गिरधारीराम कौम [illegible] सा. देह गैर खातेदार दर्ज प.नं. 222/278 मु.नं. 43 के कि.नं. 16 ता 25 की 2.53है. [illegible] भूमि में से कि.नं. 16,17,18 व किला नम्बर 23 ता 25 का रकबा वादीनी के नाम से [illegible] रिकार्ड में संशोधित किया जाकर दर्ज करने हेतु निवेदन किया हैं। राजस्व रिकार्ड में [illegible] के नाम से भूमि दर्ज नहीं हैं। आवंटन आदेश एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.09.1983 [illegible] पालना नहीं हुई हैं। भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता भीखाराम के नाम से राजस्व [illegible]र्ड में किस प्रकार एवं किन आदेशों की पालना में दर्ज हुई हैं इस बाबत वादीया की ओर [illegible] कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रदर्श नहीं करवाया हैं। ऐसी स्थिति में वादीया इस तनकी को सिद्ध [illegible]ने में असफल रही हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती हैं।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तनकीवार निर्णय के आधार पर वाद वादीया खारिज किया [illegible]ता हैं। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible]सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:42 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सीपीसी)
परिशिष्ट घ संख्यांक–1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : गुंजन सिंह आई.ए.एस

107/2009
एमएस : 2009/00023
शान्ति पत्नी चेतराम जाति बावरी निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1. मंगतराम
2. मनीराम
3. फरसाराम
4. देवीलाल
5. ओमप्रकाश
6. गुड्डी देवी
7. दाखां
8. लिछमा

(1–8) सन्तान भीखाराम जाति जाट निवासी भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.03.2023

वाद के आज अंतिम निस्तारण हेतु पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि –

"वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाता हैं।"

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

डिक्री आज दिनांक 14.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	2	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	3. प्लीडर [illegible]	–
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	–	4. साक्षियों [illegible] निर्वाह–व्यय	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	–	5. आदेशिका की तामील	–
6. कमिश्नर की फीस	–	6. कमिश्नर की फीस	–
7. आदेशिका की तामील	–		
जोड़	2	जोड़	–